ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रा0 पत्र/टीए/7076/2018/बीकानेर गोरधनराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य

उपस्थितः–
श्री एन0के0गोयल, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री आर0पी0शर्मा, उप राजकीय अधिवक्ता।

––

आदेश

दिनांकः 29–11–18

यह प्रा0 पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 221 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–09–18 के विरूद्ध पेश किया गया है।

हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस प्रा0 पत्र को विचारार्थ ग्रहण किए जाने के स्तर पर सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि नायब तहसीलदार, बज्जू ने प्रार्थी को विवादित आराजी चक 6 एमडीएमए मु0नं0 142/16 पर अतिक्रमी मानते हुए प्रार्थी को अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का नोटिस जारी किया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् प्रार्थी द्वारा एक वाद बाबत् खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध राज्य सरकार इन तथ्यों पर पेश किया कि प्रार्थी विवादित आराजी पर संवत् 2012 से पूर्व काबिज काश्त है एवं विधि अनुसार उसका खातेदार बन गया है परन्तु पश्चातवर्ती भू प्रबंघ विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त आराजी को रकबा राज दर्ज कर दिया गया, जिसका प्रार्थी को ज्ञान नहीं था। उनका यह भी कथन था कि वाद पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 का प्रा0 पत्र पेश किया गया, जिसमें विपक्षीगण को नोटिस जारी कर 11–09–2018 की तारीख पेशी नियत की गई तत्पश्चात् 27–09–18 की तारीख पेशी दी गई है। एकतरफ तो सरकार प्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है दूसरी तरफ उपखण्ड अधिकारी उक्त प्रा0 पत्र पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं कर रहे है, अतः प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रा0 पत्र पेश करने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं रहता है। अतः प्रा0 पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार को निर्देशित किया जावे कि प्रार्थी को विवादित आराजी से उपखण्ड अधिकारी के

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रा0 पत्र/टीए/7076/2018/बीकानेर गोरधनराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समक्ष पेश वाद के अंतिम निस्तारण तक बेदखल नहीं करें। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इनका प्रथम दृष्टया केस नही है तथा प्रार्थी ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा उसकी हैसियत अतिक्रमी की है। अतः प्रा0 पत्र विचारार्थ ग्रहण किए जाने के स्तर पर ही खारिज किया जावें। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। यह प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी के वाद मे अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आदेश नहीं प्रदान करने के संबंध में पेश किया गया है। यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज है, जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद पेश किया गया है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई वैधानिक अनियमितता सिद्ध नहीं की गई है, जिसके कारण धारा 221 की असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकें। धारा 221 के अन्तर्गत केवल उन्हीं आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सकता है जो कि विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया हो। वर्तमान प्रकरण में आक्षेपित आदेश विधि के अनुरूप पारित किए जाने से हम इस प्रा0 पत्र में कोई बल नहीं पाते है। फलस्वरूप यह प्रा0 पत्र विचारार्थ ग्रहण किए जाने के स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (इन्द्र सिंह राव) सदस्य	